रूबी और अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य

(आर. एन. रैना, जे)

राजीव नारायण रैना के सम्मुख, जे.

रूबी और अन्य-याचिकाकर्ता

बनाम

हरियाणा राज्य और अन्य प्रतिवादीगण

2017 का सी. डब्ल्यू. पी. No.8105

26 सितंबर, 2019

ए. भारत का संविधान, 1950-**अनुच्छेद** 21-**जीवन का अधिकार-भारतीय बिजली अधिनियम**, 2003-**धारा** 68 **और नियम** 29,44,45,45,46,59 **और** 91-**रेस इप्सा लोकितुर-बिजली के झटके के कारण एकमात्र कमाने वाले/पति की मृत्यु-पत्नी और अन्य आश्रितों द्वारा मुआवजे का दावा-सख्त और परोक्ष दायित्व के सिद्धांत-कर्मचारी मुआवजा अधिनियम**, 1923 **के प्रावधानों के अनुसार 'अदालत से बाहर निपटान योजना' के संदर्भ में दुर्घटना के लिए वितरण कंपनी/डीएचबीवीएन द्वारा पहले से ही भुगतान किए गए कुछ मुआवजे**-1923 **के अधिनियम के सिद्धांत पूरी तरह से अनुचित और उचित मुआवजे के लिए अपर्याप्त सूचकांक हैं-असाधारण अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए रिट कोर्ट कानून की हर प्रासंगिक शाखा से अवधारणाओं और सिद्धांतों को प्राप्त कर सकता है।**

ख. **भारत का संविधान**, 1950-**अनुच्छेद** 21-**जीवन का अधिकार-भारतीय विद्युत अधिनियम**, 2003-**धारा** 68 **और नियम** 29,44,45,45,46,59 **और** 91-**इप्सा लोकितुर-बिजली के झटके के कारण एकमात्र कमाने वाले/पति की मृत्यु-पत्नी और अन्य आश्रितों द्वारा मुआवजे का दावा-आयोजित, कड़ा-मुट्ठी भर न्याय अपने आप में एक अच्छे में अन्याय है।**

कारण-मुआवजे के लिए एक उपयुक्त मामले में निचले पक्ष की तुलना में अधिक गलती करना बेहतर है-अदालत को अप्रत्याशित खर्चों और बच्चों की भविष्य की शिक्षा के लिए जगह बनानी चाहिए, एक विधवा माँ के साथ उनके पालन-पोषण को लाभकारी रोजगार पाने में असमर्थ होना चाहिए-निपटान के तहत पहले से ही किया गया भुगतान पूरी तरह से अपर्याप्त पाया गया-याचिकाकर्ताओं को देय उचित और उचित मुआवजे के रूप में पैंतीस लाख रुपये दिए गए, सिवाय याचिकाकर्ता संख्या 1 के, जिसने मुआवजे की नीति के तहत अदालत के बाहर समझौता किया था।

यह माना गया कि, मेरे विचार में, कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम, 1923 में मुआवजे के सिद्धांत पूरी तरह से अनुचित और अनुचित सूचकांक हैं जो बिजली के झटके से मृत्यु के मामले में पर्याप्त, न्यायपूर्ण, उचित और उचित मुआवजे के रूप में लागू होते हैं, जिन मामलों में मोटर दुर्घटना के दावे के मामलों में कानून के सिद्धांतों को भी खारिज कर दिया गया है।मानव पीड़ा का तत्व और विस्तार, बच्चों और परिवार का भविष्य कर्मचारी मुआवजा अधिनियम की ठंडी अनुसूची में निहित कारक नहीं हैं। वास्तव में, सादृश्य से रिट अदालत असाधारण रिट अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए न्याय का न्यायसंगत संतुलन बनाने के लिए कानून की प्रत्येक प्रासंगिक शाखा से अवधारणाओं और सिद्धांतों को आकर्षित कर सकती है, जो एक उचित व्यक्ति को न तो अति-मुआवजे के रूप में और न ही मुआवजे के तहत प्रतीत होने वाले मूल्यांकन के कष्टप्रद मुद्दे का पता लगाती है।यहाँ जीवन के अनुभव और पिछले उदाहरणों से प्राप्त न्यायिक प्रतिवर्तन ही एकमात्र ऐसी चीज है जिसे हम किसी मामले में न्यायपूर्ण, निष्पक्ष, पर्याप्त और उचित मुआवजे को मापने का प्रयास करने के लिए बनाए रख सकते हैं और उसके द्वारा निर्देशित किया जा सकता है।यहां तक कि बिजली का झटका लगने और अन्य घातक दुर्घटनाओं के मामलों में भी, जिनके लिए मुआवजे का आकलन करने और मुआवजे के भुगतान का निर्देश देने के लिए वैधानिक कानून द्वारा मुआवजे को औपचारिक रूप नहीं दिया गया है, मैं कहूंगा, फिर भी पीड़ित और पीड़ित पक्ष को दीवानी अदालत में और भी अधिक मुआवजे की मांग करने वाले अपने उपचार में मात्रा निर्धारित करने के लिए खुला छोड़ दें, लेकिन फिर, दीवानी अदालत के समक्ष पक्षों द्वारा प्रस्तुत किए गए साक्ष्य पर यातनापूर्ण दायित्व और लापरवाही के प्रमाण आदि के आधार पर, ताकि घातक दुर्घटना के पुनर्निर्माण की संभावनाओं की प्रधानता को संतुलित किया जा सके।रिट अदालत द्वारा मूल्यांकन मुआवजे का अंतिम निर्धारण नहीं है, जब तक कि आदेश ऐसा नहीं कहता है।दीवानी उपचार लंबे मुकदमेबाजी के लिए कुख्यात हैं और उत्तरजीविता मुआवजे के मामले में पीड़ित पक्ष को दीवानी कार्यवाही में और उसके बाद अपील आदि में कानून की देरी के लिए आसानी से नहीं छोड़ा जा सकता है। न्यायसंगत और त्वरित राहत के लिए सबसे छोटी कटौती

निस्संदेह अनुच्छेद 226 के तहत संक्षिप्त कार्यवाही में होती है, उन मामलों में जहां तथ्य विवादित नहीं होते हैं और घटना बिना किसी संदेह के स्वीकार करने के लिए होती है।

रूबी और अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य
(आर. एन. रैना, जे)

इस मामले में, तथ्य इस साधारण कारण से विवादित नहीं हैं कि डी. एच. बी. वी. एन. पहले ही उनकी योजना में पेश किए गए कर्मचारी मुआवजा अधिनियम के सिद्धांतों को लागू करके मुआवजा का भुगतान कर चुका है।।कार्रवाई योग्य गलती की भरपाई करने की जिम्मेदारी स्वीकार की जाती है। यद्यपि डी. एच. बी. वी. एन. ने श्रम कानून के आधार पर अपने विवेक से मुआवजे का आकलन करने में कोई अवैधता नहीं की है, लेकिन रिट अदालत चूक करने वाले निगम की उपस्थिति में मुआवजे के उस फैसले से बाध्य नहीं है, जबकि रिट अदालत संविधान के अनुच्छेद 21 को प्रभावी बनाने के लिए बाध्य है, जिस पर बिजली के झटके के मामले बाकी हैं।यह कहना तुच्छ है कि मौलिक अधिकारों को माफ नहीं किया जा सकता है।मौलिक अधिकारों या कानून से बाहर कोई अनुबंध नहीं हो सकता है। इसलिए, याचिकाकर्ता संख्या 1 को उस समझौते से मुक्त किया जाना चाहिए, जो किसी भी मामले में, नाबालिग बच्चों को बाध्य नहीं करता है क्योंकि वे अभी तक वयस्कता की आयु प्राप्त नहीं कर चुके हैं। न तो याचिकाकर्ता संख्या 1 अदालत से बाहर निपटान योजना में प्रतिवादी संख्या 6 को बाध्य कर सकती थी, हालांकि उसका निधन हो गया है।निगम के अभिलेख पर माँ के हस्ताक्षर उपलब्ध नहीं हैं।

(पैरा 8)

आगे यह अभिनिर्धारित किया गया कि अचानक हुई मृत्यु की भरपाई के लिए कोई भी राशि पर्याप्त नहीं है जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा था, लेकिन सामान्य कानून में यह एकमात्र सांत्वना है जो अदालत सभी उपलब्ध प्रासंगिक कारकों और सख्त दायित्व के कानूनी सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए असहाय लोगों को दे सकती है, जिसमें वे परिस्थितियाँ भी शामिल हैं जिनमें परिवार का सामना करना पड़ रहा है; बच्चों को बसाने की आवश्यकता; जिनकी उम्र अब लगभग 17 और 15 वर्ष होनी चाहिए।जिनमें से एक लड़की है, जिसकी एक दिन शादी होनी है और एक बेटे को व्यवसाय या यहां तक कि पारंपरिक खेती में बसने के लिए; रोटी कमाने वाले और जोतने वाले की स्थायी हानि, भले ही मृत्यु के समय 55 वर्ष की आयु हो, इस मामले में मुआवजे में काफी वृद्धि करनी होगी क्योंकि पहले से किया गया भुगतान जीवन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पूरी तरह से अपर्याप्त है। अदालत को अप्रत्याशित खर्चों और बच्चों की भविष्य की शिक्षा और उनके पालन-पोषण के लिए पर्याप्त जगह बनानी चाहिए और उन्हें एक विधवा माँ के साथ जीवित रहने की दैनिक जरूरतों से लैस करना चाहिए जो लाभकारी रोजगार पाने में असमर्थ हो।

(पैरा 11)

आगे कहा कि, इसलिए, मामले के तथ्यों और परिस्थितियों की समग्रता में मैं अपने सर्वोत्तम निर्णय पर विश्वास करता हूं कि इस मामले में देय उचित और उपयुक्त मुआवजा Rs.35 लाख होना चाहिए, जिसमें पहले से ही भुगतान की गई राशि शामिल है।दिनांक 22.02.2017 की क्षतिपूर्ति नीति के तहत समझौता केवल इस आदेश द्वारा दी गई राशि के अलावा याचिकाकर्ता संख्या 1 तक ही सीमित है और इसे नाबालिग याचिकाकर्ता संख्या 2 & 3 के अधिकारों पर बाध्यकारी नहीं घोषित किया गया है।

और प्रत्यर्थी सं. 6 के उत्तराधिकारी, यदि कोई हों।यदि उन्होंने मुकदमा नहीं किया है, तो उनके पास कोई नहीं होगा।

(पैरा 12)

आगे यह अभिनिर्धारित किया कि कठोर न्याय अपने आप में एक अच्छे कार्य में अन्याय है।हालाँकि, अदालत कक्ष में अकेले सहानुभूति की कोई जगह नहीं है।मुआवजे के लिए एक उपयुक्त मामले में निचले हिस्से की तुलना में ऊपर की ओर गलती करना बेहतर है और कहीं अधिक सुरक्षित भी लेकिन वितरण एक अप्रत्याशित रूप से प्रतीत नहीं होना चाहिए।उदाहरण के लिए, रमन में मैंने 2013 में एक सौ प्रतिशत स्थायी विकलांगता से पीड़ित बिजली के झटके से घायल लगभग 5 साल के तीन विकलांग बच्चे को 60 लाख रुपये का पुरस्कार दिया था।अदालत के भीतर की अपील में एक विज्ञापन आईडीएम आदेश दर्ज करके राशि को घटाकर आधा कर दिया गया था।रमन के आग्रह पर सर्वोच्च न्यायालय में आगे की अपील में मामले से समझौता करने के निर्देशों से परे वकील द्वारा दी गई सहमति से सफलतापूर्वक बाहर निकलते हुए, निर्णय को बहाल कर दिया गया और उनके प्रभुओं द्वारा की गई टिप्पणियों में से एक थी।

(पैरा 13)

भूपिंदर घंघास, अधिवक्ता
याचिकाकर्ताओं के लिए।
सौरभ मोहंता, डीएजी, हरियाणा।अनिल चावला, अधिवक्ता
प्रतिवादीगण संख्या 2 से 5 के लिए।

राजीव नारायण रायना, जे।

(1) पैसे के मामले में मानव जीवन की कोई कीमत नहीं है।यदि बिजली आपूर्ति के प्रबंधकों की लापरवाही और लापरवाही के कारण करंट लगने से यह बुझ जाता है, तो मुआवजे के मामले सामने आते हैं।विद्युत ऊर्जा के आपूर्तिकर्ता के एजेंटों का हानिरहित बनाए रखने के अपने कर्तव्य में, संभावित रूप से खतरनाक ऊर्जा की आपूर्ति और विशेष रूप से उन क्षेत्रों में उच्च वोल्टेज संचरण लाइनों के माध्यम से जहां निवास में और उसके आसपास रहने वाले लोगों की अधिक संभावना है, भारतीय विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 68 और भारतीय विद्युत नियम, 1956 के नियम

29,44,45,46,59 और 91 में वैधानिक रूप से निर्धारित किया गया है।इन प्रावधानों के लिए, आगे विस्तार की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि इस अदालत में बिजली का झटका द्वारा चोट के मामले में उनकी कुछ गहराई से चर्चा की गई है

रमन बनाम हरियाणा राज्य और अन्य

रमन बनाम उत्तर हरियाणा बिजली मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा पुष्टि की गई

वितरण निगम अपकृत्यकर्ता के सख्त और प्रत्यावर्ती दायित्व के सिद्धांतों पर आधारित है जिसके लिए अदालत द्वारा साक्ष्य के माध्यम से लापरवाही और लापरवाही का कोई विशेष सबूत नहीं मांगा जाता है, दीवानी अदालत से जुड़े सबूत वर्षों से एक साथ एकत्र किए जाते हैं।रमन में अन्य बातों के अलावा, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि मोटर दुर्घटनाओं के मामलों में गुणक और गुणक का सिद्धांत बिजली के करंट से चोट और मृत्यु के मामलों में सख्ती से लागू नहीं होता है।अदालत को फिर से याचिकाकर्ताओं द्वारा अपने कमाने वाले, याचिकाकर्ता संख्या 1 के पति और याचिकाकर्ता संख्या 2 और 3 के पिता, जो क्रमशः लगभग 15 और 13 वर्ष की नाबालिग बेटी और बेटा हैं, की मृत्यु के लिए मांगे गए मुआवजे के मामले पर विचार करने के लिए कहा जाता है।प्रतिवादी संख्या 6, सुखमा-मृतक महाबीर की माँ को प्रोफार्मा प्रतिवादी के रूप में नियुक्त किया गया है।रूबी के अनुसार कुछ समय पहले वृद्धावस्था के कारण उनकी मृत्यु हो गई थी, जो मृतक से शादी करने वाले एक ओरियन थे। तीन याचिकाकर्ताओं ने संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत दायर एक रिट याचिका में सीधे इस अदालत का दरवाजा खटखटाया है, जिसमें बिजली का करंट लगने से महाबीर की मौत के लिए मुआवजे की प्रार्थना की गई है।2017 में विधवा 41 वर्ष की थी, जब याचिका दायर की गई थी।बच्चों की आयु 17 और 15 वर्ष होनी चाहिए।

(2) परिवार भिवानी जिले के एक गाँव में रहता है।एक 440 के. वी. पारेषण लाइन गाँव के ऊपर से धातु के बिजली के खंभों तक जाती है।महाबीर की दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु दोपहर में **दिनांक** 13-08-2013 पर हुई जब वह अपने भाई के साथ अपने खेत की देखभाल करने जा रहे थे, तभी अचानक एक भैंस आक्रामक रूप से दिखाई दी और खुद को बचाने के लिए उनका हाथ एक बिजली के खंभे के संपर्क में आ गया, जिससे करंट गुजर रहा था।वह करंट लगने से नीचे गिर गया।उसके भाई ने शोर मचाया जिसके परिणामस्वरूप गाँव के कई लोग जमा हो गए।अचेतन महाबीर को उनके भाई और अन्य ग्रामीणों द्वारा भिवानी के सामान्य अस्पताल ले जाया गया, जहाँ उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। पोस्टमॉर्टम 14.08.2013 पर किया गया था, जो पुष्टि करता है कि 'मृत्यु का कारण करंट लगने से दिल का दौरा पड़ा था' जो चिकित्सा अधिकारी द्वारा टिप्पणी के कॉलम में दर्ज किया गया है।चोटें प्रकृति में पूर्व-मृत्यु थीं और डॉक्टर की राय में मृत्यु का कारण बनने के लिए पर्याप्त थीं।मृत्यु प्रमाण पत्र याचिका के साथ संलग्न है।डॉक्टरों द्वारा पुलिस को भी मामले की सूचना दी गई और दुर्घटना की खबर समाचार पत्रों में भी प्रकाशित की गई।पुलिस रिपोर्ट और समाचार आइटम याचिका के साथ

अनुलग्नक पी-3 और पी-4 के रूप में संलग्न हैं।मृतक के भाई राजबीर का बयान पुलिस के साथ-साथ उस स्थान पर पहुंचे सभी लोगों द्वारा दर्ज किया गया जहां शव गिरा था, जिसमें कहा गया था कि दुर्घटना का कारण गाँव के रास्ते पर खड़े बिजली के खंभे के संपर्क में आना था।

(2014) 15 एस. सी. सी. 1

वहाँ बिजली का रिसाव था।धारा 173 Cr.P.C के तहत पूछताछ की कार्यवाही की गई थी।

(3) याचिकाकर्ताओं के लिए विद्वान वकील का यह तर्क है कि कानून की स्थिर स्थिति का हवाला देते हुए कि सख्त दायित्व का नियम और पूर्वानुमेय जोखिम का सिद्धांत बिजली अधिकारियों को मुख्य रूप से पीड़ित को क्षतिपूर्ति करने के लिए उत्तरदायी बनाता है।जब तक तारों के माध्यम से संचारित बिजली का वोल्टेज संभावित रूप से खतरनाक **प्रकार** का है, तब तक इसकी आपूर्ति के प्रबंधकों का कर्तव्य है कि वे ऐसी ऊर्जा के पलायन को रोकने के लिए सभी एहतियाती उपाय करें जो बिजली के झटके का कारण बनती है।अधिनियम की धारा 68 और निर्दिष्ट नियम बिजली आपूर्तिकर्ताओं को सुरक्षा प्रदान करने के लिए सुरक्षा और सुरक्षात्मक उपकरण प्रदान करने के लिए एक वैधानिक दायित्व, कर्तव्य और जिम्मेदारी का आदेश देते हैं और ऐसा करने में विफलता प्रत्यावर्ती दायित्व और किसी भी दुर्घटना के कारण मुआवजे के पुरस्कार की विशिष्ट संभावना को शामिल करती है जो इस तरह के सुरक्षा उपायों की कमी से होती है।लाइसेंसधारी बिजली वितरक के एजेंटों द्वारा खंभों और बिजली लाइनों की निरंतर निगरानी एक वैधानिक दायित्व है।

(4) मृत्यु के बाद, याचिकाकर्ता संख्या 1 ने मुआवजे के अनुदान के लिए आधिकारिक प्रतिवादीगण को अभ्यावेदन प्रस्तुत किया, लेकिन उनके द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई।याचिकाकर्ताओं ने बिजली का करंट लगने से महाबीर की मृत्यु के कारण मुआवजे की मांग करते हुए 2014 की शिकायत No.165 दर्ज करके जिला उपभोक्ता विवाद निवारण मंच, भिवानी से भी संपर्क किया।यह माना जाता है कि याचिका को रखरखाव की कमी के आधार पर खारिज कर दिया गया था।हालाँकि, याचिकाकर्ताओं को कानून के प्रावधानों के अनुसार सक्षम अदालत/प्राधिकरण के समक्ष कानूनी उपाय करने की स्वतंत्रता दी गई थी।यह आदेश परिवार को दी गई गलत कानूनी सलाह पर याचिकाकर्ताओं के तीन कीमती साल बर्बाद करने पर पारित किया गया था।अब याचिकाकर्ताओं ने संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत अपने मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है, जो नागरिकों के जीवन और स्वतंत्रता की रक्षा के लिए राज्य और उसके उपकरणों को आदेश देता है, यह तर्क देते हुए कि राज्य और डी. एच. बी. वी. एन. एल. को नागरिक के दीवानी मुकदमे या आपराधिक कार्यवाही के माध्यम से उपचार के अधिकार के बावजूद पीड़ित व्यक्ति के मौलिक अधिकारों के लिए अपने अधिकारियों द्वारा किए गए नुकसान की मरम्मत के लिए कहा जाना चाहिए।इसलिए, कानून और सिद्धांत रूप में यह दोहराया जाता है कि मामले के तथ्यों में एक दुखद घटना में जानमाल के नुकसान के लिए पीड़ित पक्ष को रिट अधिकार क्षेत्र में **मुद्रा** राहत

प्रदान की जानी चाहिए।गलत काम करने वाले को दंडित किया जाना चाहिए और उन लोगों पर दायित्व तय किया जाना चाहिए जिन्होंने बिजली के खंभे को मानव स्पर्श के लिए सुरक्षित रखने के लिए अपने कर्तव्यों का पालन करने में लापरवाही की और गलत काम को करने का एकमात्र तरीका सार्वजनिक कर्तव्य का पालन करने में विफलता के लिए धन के संदर्भ में है।

(5) याचिकाकर्ताओं का कहना है कि मृतक परिवार का एकमात्र कमाने वाला सदस्य था। याचिकाकर्ताओं के पक्ष में कानूनी सिद्धांत संदेह से परे हैं।यह भी स्वीकृत स्थिति है कि डी. एच. बी. वी. एन. एल. द्वारा महाबीर की घातक दुर्घटना के लिए याचिकाकर्ताओं को डी. एच. बी. वी. वी. एन. एल. द्वारा एफ. ए./एन. एफ. ए. दुर्घटनाओं के संबंध में **दफतर पत्र दिनांक** 15-12-2017 मुआवजे के लंबित अदालती मामलों के लिए अदालत से बाहर निपटान योजना के संदर्भ में रु. 5,42,240 की राशि का भुगतान किया गया है।दिनांकित 19.03.2018 के निर्णय को कर्मचारी मुआवजा अधिनियम, 1923 के प्रावधानों और उससे जुड़ी अनुसूची के अनुसार मुआवजे की गणना करने वाले अनुलग्नक आर-2/2 में लिखित विवरण के साथ जोड़ा गया है।निगम की योजना 1923 के अधिनियम की तर्ज पर बनाई गई है। मुआवजे की गणना अधिनियम, 1923 की अनुसूची के अनुसार मृतक की आयु को मतदाता पहचान पत्र के अनुसार 55 वर्ष, दुर्घटना की तिथि को 13.08.2013, आयु कारक को 135.56 के रूप में लेते हुए की जाती है।Rs.8000 की अनुमानित मासिक आय का औसतन 50 प्रतिशत लेते हुए-जिसे आयु कारक से गुणा किया जाता है, राशि वैधानिक सूत्र द्वारा रु. 5,42,240 पर आती है।इस राशि में मामले के अंतिम निर्णय के अधीन इस न्यायालय के अंतरिम निर्देशों के तहत भुगतान किए गए 5 लाख रुपये शामिल हैं।इस राशि में से 4 लाख रुपये याचिकाकर्ता संख्या 1 से 3 तक और 1 लाख रुपये मृतक के प्रतिवादी को इस अदालत के अंतरिम आदेश द्वारा दिए जाने का आदेश दिया गया था।

(6) प्रतिवादीगण के लिए विद्वान वकील संख्या 2 से 5 प्रस्तुत करते हैं कि याचिकाकर्ता संख्या 1 के अनुलग्नक आर-2/1 में दिनांकित 18.01.2018 का एक हलफनामा दायर करके विवाद को निपटाने के लिए आगे आने पर आगे मुआवजे का दावा करने से रोक दिया जाता है।प्रथम याचिकाकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित 18.01.2018 दिनांकित शपथ पत्र में पाठ इस प्रकार हैः

"1.कि मेरे पति की मृत्यु 13.08.2013 पर करंट लगने से हुई थी।

2. कि मैंने पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में अपने पति की मृत्यु के कारण मुआवजे के लिए मामला दायर किया है।

3. कि मैं निगम के अदालत से बाहर के समझौते का लाभ उठाना चाहता हूं।

4. कि मेरे दावे के मामले को अदालत के बाहर निपटारे के रूप में निपटाया जाए।

5. कि यदि हमारे दावे का निपटारा हो जाता है, तो हम माननीय पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय से मामला वापस लेने के लिए बाध्य होंगे।हमारे दावे का निपटारा किया जाए।"

(7) रिट याचिका वापस लिए जाने की स्थिति में मुआवजे के भुगतान के वादे पर इस हलफनामे को दाखिल करने की परिस्थितियों में गहराई से जाने के लिए, मैंने याचिकाकर्ता संख्या 1 को अदालत में पेश होने के लिए या इनकार करने के लिए बुलाया और उन परिस्थितियों को समझाया जिनमें मेरे दिनांकित आदेश द्वारा समझौता किया गया था।वह अदालत में पेश हुई।शपथ पत्र अनुलग्नक आर-2/1, वकालतनामा और याचिका (पीपी26 पेपर-बुक) पर की फोटोकॉपी पर उनके हस्ताक्षर का मिलान करने के लिए।, दोगुना सुनिश्चित करने के लिए मैंने अदालत के सचिव से उस पर हस्ताक्षर करने के लिए उसे कागज का एक टुकड़ा देने के लिए कहा।उन्होंने शीट के दो स्थानों पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसे मार्क-ए के रूप में रिकॉर्ड में रखा गया है। मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है कि न्यायिक फाइल पर हस्ताक्षर निगम को सौंपे गए हलफनामे से मेल खाते हैं।अदालत के प्रश्नों के उत्तर में, याचिकाकर्ता संख्या 1 द्वारा अदालत को सूचित किया गया कि वह उड़ीसा की रहने वाली है और गरीबी के कारण हरियाणा में उसकी शादी हुई है।वह पूरी तरह से अनपढ़ है और उसने केवल अपने नाम पर यांत्रिक रूप से हस्ताक्षर करना सीखा है।वह हिंदी या अपनी भाषा नहीं पढ़ या लिख सकती है।वह कहती है कि उसे कार्यालय में बुलाया गया और उसे ऐसे हस्ताक्षरों के महत्व को समझे बिना कागजात पर हस्ताक्षर करने के लिए कहा गया।जैसा कि सभी जानते हैं, उनके पति की 2013 में मृत्यु हो गई थी और उन्होंने अपना भरण-पोषण करने के लिए पैसे के लिए 4 साल से अधिक समय तक इंतजार किया था।उसकी सास (प्रतिवादी संख्या 6) का भी निधन हो गया है।इन परिस्थितियों में, उन्होंने अपने कृत्य के कानूनी नतीजों को समझे बिना या समझे बिना शपथ पत्र पर हस्ताक्षर किए। हलफनामा हिंदी में है और निपटान योजना के लिए एक प्रारूप पर है।

(8) मेरे सुविचारित विचार में, कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम, 1923 में मुआवजे के सिद्धांत पूरी तरह से अनुचित और अनुचित सूचकांक हैं जो बिजली के झटके से मृत्यु के मामले में पर्याप्त, न्यायपूर्ण, उचित और उचित मुआवजे के रूप में लागू होते हैं, जिन मामलों में मोटर दुर्घटना के दावों के मामलों में कानून के सिद्धांतों को भी खारिज कर दिया गया है।मानव पीड़ा का तत्व और विस्तार, बच्चों और परिवार का भविष्य कर्मचारी मुआवजा अधिनियम की ठंडी अनुसूची में निहित कारक नहीं हैं। वास्तव में, सादृश्य से रिट अदालत असाधारण रिट अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए न्याय का न्यायसंगत संतुलन बनाने के लिए कानून की प्रत्येक प्रासंगिक शाखा से अवधारणाओं और सिद्धांतों को आकर्षित कर सकती है, जो एक उचित व्यक्ति को न तो अति-क्षतिपूर्ति और न ही मुआवजे के तहत दिखाई देने वाले मूल्यांकन के कष्टप्रद मुद्दे का पता लगाती है।यहाँ जीवन के अनुभव और पिछले उदाहरणों से प्राप्त न्यायिक प्रतिवर्तन ही एकमात्र ऐसी चीज है जिसे हम किसी मामले में न्यायपूर्ण,

निष्पक्ष, पर्याप्त और उचित मुआवजे को मापने का प्रयास करने के लिए बनाए रख सकते हैं और उसके द्वारा निर्देशित किया जा सकता है।

(आर. एन. रैना, जे)

यहां तक कि बिजली के झटके और अन्य घातक दुर्घटनाओं के मामलों में रिट अधिकार क्षेत्र में भी जिनके लिए मुआवजे का आकलन करने और मुआवजे के भुगतान का निर्देश देने के लिए वैधानिक कानून द्वारा मुआवजे को औपचारिक रूप नहीं दिया गया है, मैं कहूंगा, फिर भी पीड़ित और पीड़ित पक्ष को दीवानी अदालत में और भी अधिक मुआवजे की मांग करने वाले अपने उपचार में मात्रा निर्धारित करने के लिए खुला छोड़ दें, लेकिन फिर, दीवानी अदालत के समक्ष पक्षों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर और लापरवाही के प्रमाण आदि के आधार पर, ताकि घातक दुर्घटना के पुनर्निर्माण की संभावनाओं की प्रधानता को संतुलित किया जा सके।रिट अदालत द्वारा मूल्यांकन मुआवजे का अंतिम निर्धारण नहीं है, जब तक कि आदेश ऐसा नहीं कहता है।दीवानी उपचार लंबे मुकदमेबाजी के लिए कुख्यात हैं और उत्तरजीविता मुआवजे के मामले में पीड़ित पक्ष को दीवानी कार्यवाही में और उसके बाद अपील आदि में कानून की देरी के लिए आसानी से नहीं छोड़ा जा सकता है। न्यायोचित और त्वरित राहत के लिए सबसे छोटी कटौती निस्संदेह अनुच्छेद 226 के तहत संक्षिप्त कार्यवाही में होती है, उन मामलों में जहां तथ्य विवादित नहीं होते हैं और घटना बिना किसी संदेह के स्वीकार करने वाली होती है।इस मामले में, तथ्य इस साधारण कारण से विवादित नहीं हैं कि डी. एच. बी. वी. एन. ने अपनी योजना में पेश किए गए कर्मचारी मुआवजा अधिनियम के सिद्धांतों को लागू करके पहले ही कुछ मुआवजे का भुगतान कर दिया है।कार्रवाई योग्य गलती की भरपाई करने की जिम्मेदारी स्वीकार की जाती है।यद्यपि डी. एच. बी. वी. एन. ने श्रम कानून के आधार पर अपने विवेक से मुआवजे का आकलन करने में कोई अवैधता नहीं की है, लेकिन रिट अदालत चूक करने वाले निगम की उपस्थिति में मुआवजे के उस फैसले से बाध्य नहीं है, जबकि रिट अदालत संविधान के अनुच्छेद 21 को प्रभावी बनाने के लिए बाध्य है, जिस पर बिजली के झटके के मामले शेष हैं।यह कहना तुच्छ है कि मौलिक अधिकारों को माफ नहीं किया जा सकता है।मौलिक अधिकारों या कानून से बाहर कोई अनुबंध नहीं हो सकता है।इसलिए, याचिकाकर्ता संख्या 1 को समझौते से मुक्त किया जाना चाहिए, जो किसी भी मामले में समझौता करता है, नाबालिग बच्चे बाध्य नहीं हैं क्योंकि वे अभी तक वयस्कता की आयु प्राप्त नहीं कर चुके हैं।न तो याचिकाकर्ता संख्या 1 अदालत से बाहर निपटान योजना में प्रतिवादी संख्या 6 को बाध्य कर सकती थी, हालांकि उसका निधन हो गया है।निगम के अभिलेख पर माँ के हस्ताक्षर उपलब्ध नहीं हैं।

(9) प्रतिवादी-निगम उपभोक्ताओं को ऊर्जा की आपूर्ति करने के लिए राज्य का लाइसेंसधारी है। राज्य अंततः मुआवजे के लिए जिम्मेदार है, लेकिन निगम के माध्यम से।हरियाणा राज्य ने स्वर्गीय महाबीर की पत्नी याचिकाकर्ता संख्या 1 के साथ कोई समझौता नहीं किया है।

(10) याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश विद्वान वकील श्री भूपिंदर घंघास, श्री सौरभ मोहंता, डी. ए. जी., हरियाणा और श्री अनिल चावला, डी. एच. बी. वी. एन. एल. का प्रतिनिधित्व करने वाले विद्वान वकील को सुनने के बाद, मुझे अपने मन में कोई संदेह नहीं है कि यह याचिका स्वीकार किए जाने के योग्य है।

याचिकाकर्ताओं को महाबीर के नुकसान के लिए पर्याप्त मुआवजा दिया जाना चाहिए। याचिकाकर्ता डी. एच. बी. वी. एन. एल. की क्षतिपूर्ति नीति से बाध्य नहीं हैं। इसे केवल एक अंतरिम उपाय के रूप में देखा जा सकता है, क्योंकि निगम प्रतिवादी के रूप में न्यायपूर्ण, निष्पक्ष और पर्याप्त मुआवजे का अंतिम मध्यस्थ नहीं है।मुआवजे का फैसला मामले-दर-मामले के आधार पर किया जाना चाहिए और मामले के कानून से प्राप्त मार्गदर्शन के अलावा कोई कठोर और तेज़ नियम निर्धारित नहीं किया जा सकता है।रिट कार्यवाही में दिए गए प्रत्येक मुआवजे के पैकेज में अंगूठे के नियम को लागू करके अनुमान लगाने का काम होता है।न्यायसंगत मुआवजे की मात्रा निर्धारित करना कोई आसान काम नहीं है।

(11) अचानक हुई मृत्यु की भरपाई के लिए कोई भी राशि पर्याप्त नहीं है जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा था, लेकिन सामान्य कानून में यह एकमात्र सांत्वना है जो अदालत सभी उपलब्ध प्रासंगिक कारकों और सख्त दायित्व के कानूनी सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए असहाय लोगों को दे सकती है, जिसमें परिवार को जिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा है; बच्चों को बसाने की आवश्यकता; जिनकी उम्र अब लगभग 17 और 15 वर्ष होनी चाहिए।जिनमें से एक लड़की है, जिसकी एक दिन शादी होनी है और एक बेटे को व्यवसाय या यहां तक कि पारंपरिक खेती में बसने के लिए; रोटी कमाने वाले और जोतने वाले की स्थायी हानि, भले ही मृत्यु के समय 55 वर्ष की आयु हो, इस मामले में मुआवजे में काफी वृद्धि करनी होगी क्योंकि पहले से किया गया भुगतान जीवन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पूरी तरह से अपर्याप्त है।अदालत को अप्रत्याशित खर्चों और बच्चों की भविष्य की शिक्षा और उनके पालन-पोषण के लिए पर्याप्त जगह बनानी चाहिए और उन्हें एक विधवा माँ के साथ जीवित रहने की दैनिक जरूरतों से लैस करना चाहिए जो लाभकारी रोजगार पाने में असमर्थ हो।

(12) इसलिए, मामले के तथ्यों और परिस्थितियों की समग्रता में मैं अपने सर्वोत्तम निर्णय पर विश्वास करता हूं कि इस मामले में देय उचित और उपयुक्त मुआवजा Rs.35 लाख होना चाहिए, जिसमें राउंड ऑफ द्वारा पहले से ही भुगतान की गई राशि शामिल है।दिनांक 22-02-2017 की क्षतिपूर्ति नीति के तहत समझौता केवल इस आदेश द्वारा दी गई राशि के अलावा याचिकाकर्ता संख्या 1 तक ही सीमित है और इसे नाबालिग याचिकाकर्ता संख्या 2 और 3 और प्रतिवादी संख्या 6 के उत्तराधिकारियों, यदि कोई हो, के अधिकारों पर बाध्यकारी नहीं घोषित किया गया है।यदि उन्होंने मुकदमा नहीं किया है, तो उनके पास कोई नहीं होगा।

(13) कठोर न्याय अपने आप में एक अच्छे कारण में अन्याय है।हालाँकि, अदालत कक्ष में अकेले सहानुभूति का कोई स्थान नहीं है।मुआवजे के लिए एक उपयुक्त मामले में निचले हिस्से की तुलना में ऊपर की ओर गलती करना बेहतर है और कहीं अधिक सुरक्षित भी लेकिन वितरण एक अप्रत्याशित रूप से प्रतीत नहीं होना चाहिए।उदाहरण के लिए, रमन में मैंने 2013 में एक सौ प्रतिशत स्थायी विकलांगता से पीड़ित बिजली के झटके से घायल लगभग 5 साल के तीन विकलांग बच्चे को 60 लाख रुपये का पुरस्कार दिया था।अदालत के भीतर की अपील में एक विज्ञापन आईडीएम आदेश दर्ज करके राशि को घटाकर आधा कर दिया गया था।

उच्चतम न्यायालय ने रमन के कहने पर मामले से समझौता करने के निर्देश से परे वकील द्वारा दी गई सहमति से सफलतापूर्वक बाहर निकलते हुए निर्णय को बहाल कर दिया और उनके अधिपतियों द्वारा की गई टिप्पणियों में से एक थी:

"...विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश, [राशि] को उच्चतर पक्ष में नहीं कहा जा सकता है, लेकिन हमारे विचार में, दी गई मुआवजे की उक्त राशि कम है और **उचित और** बहुत अधिक नहीं होनी चाहिए थी।

(14) सबक सीखा जाता है।

(15) नतीजतन, याचिकाकर्ता संख्या 1 को पहले से ही भुगतान किए गए मुआवजे के अलावा, निगम द्वारा निम्नलिखित विभाजन में याचिकाकर्ताओं को Rs.30 लाख की एक और राशि का भुगतान करने का निर्देश दिया जाता है:

याचिकाकर्ता संख्या 1:	इस आदेश की प्रमाणित प्रति की प्राप्ति की तारीख से दो महीने की अवधि के भीतर उसे रुपये 1,00,000/- (दस लाख रुपये) का भुगतान किया जाना है। यदि भुगतान निर्धारित अवधि के भीतर नहीं किया जाता है, तो भुगतान तक मुआवजे पर 9 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज लगेगा।
याचिकाकर्ता संख्या 2:	रुपये 10,00,000-(दस लाख रुपये) अधिकतम ब्याज दर अर्जित करने के लिए भारतीय स्टेट बैंक में फिक्स्ड डिपॉजिट के रूप में उसके नाम पर जमा किया जाना है, जो उसे 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर जारी किया जाएगा। जमाकर्ता निगम द्वारा याचिकाकर्ता संख्या 1 के लिए उसी समय-सीमा के भीतर जमा किया जाएगा।
याचिकाकर्ता संख्या 3:	अधिकतम ब्याज दर अर्जित करने के लिए प्रमुख भारतीय स्टेट बैंक में सावधि जमा के रूप में उसके नाम पर जमा की जाने वाली Rs.10,00,000/- (दस लाख रुपये), जो उसे 21 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर जारी की जाएगी, तब तक स्वचालित रूप से नवीनीकृत की जाएगी। जमा की अवधि उपरोक्त के समान है।

(16) इन अवलोकन और निर्देशों के साथ, याचिका को अनुमति दी जाती है।

त्रिभुवन दहिया

प्रवीण वर्मा

स्पष्टीकरणः— स्थानीय भाषा मे अनुवादित निर्णय वादी के सिमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा मे इसे समझ सके किसी अन्य उददेष्य के लिए इसका उपयोग नही किया जा सकता हे। सभी व्यवहारिक और अधिकारीक उददेष्यो के लए निर्णय का अग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और क्रायान्वयन के उददेष्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।